न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

GCMS NO.-2025/261
मिसलनम्बर– 52 / 2025

1. मनोज कुमार वर्मा आयु 42 वर्ष पुत्र श्री जयमल सिंह जाति जाटव निवासी आशिका मोबाईल पोइन्ट, बजरंग नगर पुलिस लाईन कोटा (राज0)

....प्रार्थी

बनाम

1. पुष्पचन्द पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम चन्द्रेसल तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.)

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु।)

दिनांक 23/03/2026

उपस्थितिः–
1.श्री संजय शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री घनश्याम नागर, अधिवक्ता अप्राथी नं0 1।

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी करवाये जाने पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के कब्जेकाश्त की आराजी खाता संख्या नया 371 खाता संख्या पुराना 267 के ख.नं. 2410 / 941 रकबा 0.8000 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित चली आ रही है। जो प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड चली आ रही है।

प्रार्थीगण की उक्त कृषि आराजी के समीपस्थ खसरा नं. 938 रकबा 1.65 हैक्टर स्थित है जो प्रतिपक्षी संख्या–1 के खातेदारी की है, प्रार्थीगण के खाते की उपरोक्त आराजी व प्रतिपक्षी संख्या–1 की उपरोक्त वर्णित आराजी के मध्य मेड़ स्थित है तथा नक्शे में भी तरमीम हो रही है तथा उसी अनुरूप प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 1 अपनी अपनी आराजी के मालिक व काबिज है। प्रतिपक्षी संख्या–2 फोरमल पक्षकार होने की वजह से उन्हे पक्षकार संख्या–2 के रूप में संयोजित किया गया है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उक्त आराजी में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य मेढ़ बनी हुई है लेकिन उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होने लगा तब प्रार्थीगण ने इस संबंध में प्रतिपक्षी संख्या–2 को कार्यवाही करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिपक्षी संख्या–2 ने प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी नं. 1 के विवाद हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की, इसलिये प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अपनी आराजी का सीमाज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है. उक्त आराजी का सीमा ज्ञान व पत्थरगढ़ी नहीं होने से प्रार्थीगण को अपनी कृषि आराजी को विकसित करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण प्रार्थीगण को खाता संख्या नया 371 खाता संख्या पुराना 295 के ख.नं. 2410/941 रकबा 0.8000 हैक्टर आराजी की पैमाईश एवं सीमा ज्ञान करवाकर पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की रिकॉडेड खातेदारी की कृषि आराजी खाता सख्या नया 371 खाता संख्या पुराना 295 के ख.नं. 2409/941. रकबा 0.8000 हैक्टर वाके ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की आराजी का सीमाज्ञान और पत्थरगढ़ी करवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी क्रम 1 की आरे से निम्नलिखित जवाब पेश किया गया :–

प्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति नही है वरन प्रार्थी प्रोपर्टी डीलर का कार्य करता है। पूर्व में उक्त आराजी अन्य खातेदार के नाम दर्ज थी जिसे प्रार्थी द्वारा हाल ही में खरीद किया है उक्त आराजी की पूर्वी मेर मे से अप्रार्थी का रास्ता रहा है जो आज भी मौके पर प्रचलित है। जिसे बंद करने व अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य लगभग 70–80 वर्षो से मेर बनी हुयी है जो आज भी मौके पर है। अप्रार्थी काश्तकार पेशा व्यक्ति है जो हमेशा की भॉति आज भी खेती कर अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। माननीय न्यायालय को प्रकरण का श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त नही है। पत्थरगढी के संबंध में तहसीलदार लाडपुरा सक्षम न्यायालय है इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने योग्य है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज आराजी के आस पास के सभी खातेदारान को पक्षकार नही बनाया है, इस कारण भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है।

प्रार्थीगण की आराजी मे से अप्रार्थी का कदिमी प्रचलित रास्ता मौजूद है उक्त रास्ता को बन्द करने के ध्येय से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

उक्त आराजी से लंगवा खसरा नम्बर 2410/941 खसरा नम्बर 941/1785 स्थित है, खसरा नम्बर 941/1785 नगर विकास न्यास कोटा के नाम बस्ती बस जाने के कारण दर्ज हो गयी। आराजी कीमती हो जाने से प्रार्थीगण द्वारा हाल ही में उक्त आराजी खरीद की है और बाद खरीद ही अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

नगर विकास न्यास को पक्षकार नही बनाने से प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी क्रम 1 के विरूद्ध सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार लाडपुरा से रिपोर्ट तलब की गई, जिसमें तहसीलदार लाडपुरा द्वारा वर्णित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि मौका देखने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि खसरा नं0 2410/941 का उत्तर पूर्वी भाग का कुछ भाग पर खसरा नं0 938 के खातेदार पुष्पचंद पुत्र मांगीलाल जाति धाकड़ सा0 देह का कब्जा काश्त है। मौके पर वर्तमान में गेंहू की फसल है।

बाद रिपोर्ट दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराया एवं अप्रार्थी नं0 1 की ओर से अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को बहस माने जाने का निवेदन किया गया।

बहस उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित ख.नं. 2410/941 रकबा 0.8000 हैक्टर खातेदार प्रार्थी मनोज कुमार वर्मा तथा खसरा नं0 938 प्रतिपक्षी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि उक्त आराजी में प्रार्थी एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य मेढ़ बनी हुई है लेकिन उक्त आराजी की सीमाओं को लेकर प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीगण के मध्य विवाद होने लगा तब प्रार्थीगण ने इस संबंध में प्रतिपक्षी संख्या 2 को कार्यवाही करने हेतु कई बार प्रार्थना पत्र पेश किया लेकिन प्रतिपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थी एवं प्रतिपक्षी नं. 1 के विवाद हेतु कोई उचित कार्यवाही नहीं की। अप्रार्थी नं0 1 की ओर से प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थी की उक्त आराजी की पूर्वी मेर मे से अप्रार्थी का रास्ता रहा है जो आज भी मौके पर प्रचलित है। जिसे बंद करने व अप्रार्थी को परेशान करने के ध्येय से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी के मध्य लगभग 70–80 वर्षो से मेर बनी हुयी है जो आज भी मौके पर है।

पत्रावली में निहित दस्तावेंज यथा प्रार्थना–पत्र तथा रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। तहसील रिपोर्ट में स्पष्टतया अंकित है कि प्रार्थी की भूमि के उत्तर पूर्वी भाग का कुछ भाग पर अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है। अप्रार्थी की ओर से यह कथन किया गया है कि अप्रार्थी का कदिमी प्रचलित रास्ता मौजूद है उक्त

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

रास्ता को बन्द करने के ध्येय से अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। बाद अवलोकन प्रकरण में उभयपक्षकारान की भूमियों के मध्य सीमा सम्बंधित विवाद होना जाहिर होता है। अतः सीमाओं के विवाद के समाधान हेतु बाद सीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना अति–आवश्यक प्रतीत होता हैं, जिससे मौके की शांति व्यवस्था भी बनी रहें। अतः प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवायें जाने हेतु को स्वीकार कर तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया जाता हैं कि यदि प्रार्थी की आराजी में से अप्रार्थी की आराजी खसरा नं0 938 का कदीमी रास्ता मौजूद है तो कदीमी/प्रचलित रास्ते को ध्यान में रखते हुये नियमानुसार कार्यवाही कर ग्राम चन्द्रेसल पटवार हल्का सोगरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोगरिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में स्थित ख.नं. 2410/941 रकबा 0.8000 हैक्टर का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की कार्यवाही करें।

उक्त निर्णय आज दिनाक: 23/03/2026 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा